08/10/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त
पत्र उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया
जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया
गया। नकल नि. अनु. दी।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2024/499

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:06 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

ज्ञानाराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्याः–216/2024

GCMS:- 2024/499

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के पिता आईदान पुत्र जीतुराम के नाम से भूमि वाके रोही डीडवाना तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 4/13 के खसरा नं. 129 में 11.964 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता का नाम आईदान पुत्र जीतुराम है। परन्तु लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी के पिता की उक्त भूमि वाके रोही डीडवाना तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 4/13 के खसरा नं. 129 में 11.964 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि की चालू जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 में प्रार्थी के पिता का नाम आईदान पुत्र जीतुराम के स्थान पर आमीदीन पुत्र जीतुराम दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2042 के खाता संख्या 66/66 के खसरा संख्या 129 में 11.964 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि में प्रार्थी के पिता का सही नाम आईदान पुत्र जीतुराम अंकित है। इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की चालू जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम आमीदीन पुत्र जीतुराम के स्थान पर सही नाम आईदान पुत्र जीतुराम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता मतदाता पहचान–पत्र, वारिस पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र में प्रार्थी के पिता का सही नाम आईदान पुत्र जीतुराम अंकित है। इसलिये नाम की एकरूपता के लिये प्रार्थी अपने पिता का नाम आमीदीन पुत्र जीतुराम के स्थान पर आईदान पुत्र जीतुराम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाने में भारी परेशानयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट के संलग्न उक्त मूल प्रार्थना पत्र की पुश्त पर रिपोर्ट पटवारी प0म0 सिंगरासर दिनांक 20.07.2024 अनुसार मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2035 ता 44 के खाता संख्या 66 पर प्रार्थी के पिता का नाम आईदान पुत्र जीतूराम जाति नाई सा0 देह अंकित है। उसके बाद की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम आमीदीन पुत्र जीतुराम अंकित हो गया। वर्तमान जमाबंदी में भी प्रार्थी के पिता का नाम आमीदीन पुत्र जीतूराम अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम आमीदीन पुत्र जीतूराम के स्थान पर आईदान पुत्र जीतूराम किया जाना उचित है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2035 ता 44 ग्राम डीडवाना के खाता संख्या 66 में आईदान वल्द जीतु राम कौम नाई सा0 देह खातेदार अंकित है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के ग्राम डीडवाना की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या नया 6 पुराना 4 के खसरा नं. 129 में प्रार्थी के पिता का नाम आमीदीन पुत्र जीतुराम के स्थान पर आईदान पुत्र जीतुराम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। निर्णय सुनाया गया। BZ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	5765 08.10.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.14 18:42:06 IST
Reason: Self Attested